



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR JUTE AND ALLIED FIBRES
भारतीय परिषद का कृषि अनुसंधान
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
 पो.ऑ. बैरकपुर, जिला - 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल
P.O. BARRACKPORE, DIST. 24-PARGANAS(N), WEST BENGAL



प्रपत्र - I

FORM - I

[नियम 53 (1)]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी हेतु नामांकन

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

जब सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार हो और वह एक या एक से अधिक सदस्य को मनोनीत करना चाहता हो, तो/ When the Government servant has a family and wishes to nominate one member, or more than one member, thereof,

एतद्वारा मैं, नीचे उल्लेखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य है/हैं, और उसे/उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु होने के उपरान्त कोई भी ग्रेच्युटी जिसका भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है, को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ एवं मेरी मृत्यु हो जाने पर निर्दिष्ट सीमा तक, कोई भी ग्रेच्युटी जो सेवानिवृत्त होने पर मुझे देय होना शेष है, का भुगतान नहीं किया जाए :-

I, hereby nominate the person/persons mentioned below who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity the payment of which may be authorized by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:-

वास्तविक नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों/ Original Nominee (s)				वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों/ Alternate Nominee(s)	
नामांकित व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम तथा पता I/Name and address of nominee/ nominees	सरकार कर्मचारी के साथ रिश्ता/ Relationship with the Government servant	आयु/ Age	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी राशि का हिस्सा */ Amount of share of gratuity payable to each*	सरकारी कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति का नाम, पता, संबंध और आयु, यदि कोई हो, जिसे नामिती को अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पारित हो जाएगा I/Name, address, relationship and age of the person of persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the Government servant or the nominee dying after the death of the Government servant but before receiving payment of gratuity	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी राशि का हिस्सा */ Amount of share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

* इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी की पूरी राशि को कवर किया जा सके ।/This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.

** इस कॉलम में दर्शाए गए ग्रेच्युटी की राशि/हिस्सा में वास्तविक नामांकित व्यक्ति को पूरी देय राशि/शेयर शामिल होना चाहिए ।/The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominee(s)

यह नामांकन मेरे द्वारा पूर्व मेंको किए गए नामांकन का स्थान लेते हुए उसे निरस्त करता है । / This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stands cancelled.

टिप्पणी : (i) हस्ताक्षर करने के पश्चात सरकारी कर्मिक द्वारा को अंतिम प्रविष्टि करने के बाद कोई अन्य नाम न जुड़ जाए, को रोकने के लिए नीचे रिक्त स्थान को काट देंगे ।/ The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

(ii) जो लागू नहीं हैं, उसे काट दें । / Strike out which is not applicable.

दिनांक यह/ Dated this दिन का / day of.....
..... 2.... पर/ at.....

गवाहों के हस्ताक्षर/ Witnesses to signature:

1.
सरकारी कर्मिक का हस्ताक्षर / Signature of Government Servant
2.

(कार्यालय द्वारा भरा जाए/To be filled by the Head of Office)

द्वारा नामित/ Nomination by

पदनाम/ Designation

कार्यालय/ Office

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर/ Signature of Head of Office

दिनांक / Date ::

पदनाम/ Designation :